राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 162 फरवरी 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

महिलाओं पर होने वाली यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए पूरे विश्व में 14 फरवरी, वेलेनटाईन दिवस, को 'ग्लोबल वन बिलियन राइजिंग कैम्पेन' (ओबीआर) मनाया गया। इस अभियान में हजारों लोग शामिल हुए चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के थे अथवा पुरुष और महिला थे। विद्यार्थियों, कार्यकर्ताओं, पेशेवरों, कम उम्र के कूड़ा बीनने वालों, घरेलू कामगारों और यहां तक कि हॉकरों ने इस अभियान में भाग लिया।

वेलेनटाईन दिवस को पारंपरिक तरीके से मनाने की बजाए ओबीआर ने महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों और उनके लिए सुरक्षित नगर बनाने की ओर ध्यान दिलाने के लिए नाटक, नृत्य और मार्च आयोजित किए। लंदन में बैलून छोड़े गए, बांग्लादेश से एमस्टर्डम तक सब जगह नाच-गाने हुए और अन्य स्थानों सहित अफगानिस्तान और फिजी में मार्च हुए।

जबकि 16 दिसम्बर को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद देश भर में चलाए गए विरोध के कारण केन्द्रीय सरकार को तीन सदस्यीय समिति की स्थापना करनी पड़ी, पीड़िता को मिले समर्थन से अनेक अन्य पीड़ितों को खुल कर सामने आने और यौन दुराचार और उत्पीड़न के अपने अनुभव बताने के लिए साहस और आत्मविश्वास मिला। एक ऐसी महिला संगीतकार अनुष्का शंकर हैं जिसने साहस के साथ यह स्वीकार किया कि उसे एक बच्ची के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति से यौन दुराचार सहना पड़ा था जिस पर उसके माँ-बाप का अत्यन्त भरोसा था। उसने

चर्चा में **वन बिलियन राइजिंग कैम्पेन**

यह स्वीकारोक्ति अमरीकी नाटककार ईव एनस्लर द्वारा 'वन बिलियन राइजिंग कैम्पेन' के आरम्भ करने से पूर्व की। विश्वभर में चले इस आंदोलन के जरिए पुरुषों और महिलाओं से यह अनुरोध किया गया कि वे यौन हिंसा के विरुद्ध खड़े हों और बलात्कार की संस्कृति को समाप्त करें।

ओबीआर के आरम्भ से पूर्व शंकर की यह स्वीकारोक्ति विशेष तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अनेक पीड़ितों को यौन उत्पीड़न के अपने अनुभवों को बताने में साहस मिलेगा और इससे उन्हें यह महसूस करने में सहायता मिलेगी कि उन पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता और न ही इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात है। इस बात के उजागर होने से माँ-बाप को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे ऐसी घटनाओं में अपने बच्चों के लिए बोलें न कि उसे छुपाएँ क्योंकि अधिकांश मामलों में माँ-बाप को उस व्यक्ति की पूरी जानकारी होती है जो उनके बच्चे का यौन शोषण कर रहा होता है।

इस बात को स्वीकार किया जाता है कि 16 दिसम्बर को हुए सामूहिक बलात्कार से महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत और उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा और अन्य महिला संबंधित मुद्दों पर काफी अधिक विचार-विमर्श और चर्चा हुई। यह आशा की जाती है कि वन बिलियन राइजिंग कैम्पेन इसे सक्रिय रखेगा और 16 दिसम्बर, 2012 को हुई जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उद्देश्यपूर्ण कानूनों को लाने में मदद करेगा ताकि साहसी लड़की की मौत व्यर्थ न जाए।

सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के मार्ग-निर्देश जारी करना

महावीर शिक्षा समिति द्वारा भोपाल में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए मार्ग-निर्देशों वाली एक पुस्तक जारी की गई। पुस्तक जारी करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि पुस्तक में प्रक्रियाओं का एक सेट देने का प्रयास किया गया है जिसका विभिन्न संबंधित पक्ष, जिसमें पुलिस, डॉक्टर, न्यायालय, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता और मीडिया शामिल हैं, द्रुत और प्रभावी सुनियोजित कार्यवाही करने और अपराधों के पीड़ितों को तत्काल न्याय दिलाने के लिए अनुपालन करें। पुस्तक में बलात्कार और यौन दुराचार के पीड़ितों के अधिकारों को भी स्पष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा श्रोताओं को संबोधित करती हुई

राज्य महिला आयोगों के साथ वार्ता

राष्ट्रीय म... ...राज्यीय महिला आ... कार्यक्रम

श्रीमती मीरा कुमार दीप प्रज्वलित करती हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और अन्य सदस्याएं देख रही हैं

लोक सभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार ने वार्ता का उद्घाटन किया और इसमें राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाएं/सदस्य/सदस्य सचिव उपस्थित हुईं।

इस वार्ता की रूपरेखा महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हुई हिंसा के विरुद्ध युवा लड़कियों और लड़कों, पुरुषों और महिलाओं की आक्रोशित सामूहिक आवाज की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बनाई गई थी। इस वार्ता ने महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और संयुक्त प्रयासों के साथ संतुलित तरीके से उनको हल करने के लिए समाधान खोजने का एक मंच प्रदान किया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने 16 दिसम्बर के बलात्कार मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समय यह जरूरी है कि समूचे देश में महिलाओं को हिफाजत और सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने राज्य महिला आयोगों से अनुरोध किया कि वे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और महिलाओं के जीवन में जागरूकता लाने के लिए समाज कल्याण विभागों के साथ काम करके महिलाओं को सशक्त बनाएं।

उन्होंने श्रीमती मीरा कुमार से अनुरोध किया कि वह राज्य आयोगों के बजट में वृद्धि करने के लिए सिफारिश करें ताकि वे अपने निर्देशों को पूरा कर सकें। उन्होंने संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करने वाले विधेयक को पारित कराने में सहायता देने के लिए अध्यक्षा से अनुरोध किया।

श्रीमती ममता शर्मा ने बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए राज्य आयोगों का आह्वान किया जिससे महिलाएं इन सामाजिक बुराईयों के प्रति जागरूक हो सकें।

अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती मीरा कुमार ने दुःख प्रकट किया कि यद्यपि पुराणों में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है परन्तु वास्तव में उन्हें निम्न समझा जाता है। उन्होंने कहा कि यदि उच्च नहीं तो कम से कम महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। महिलाओं की रक्षा करने के लिए बहुत अधिक संख्या में कानूनों का उल्लेख करते हुए श्रीमती मीरा कुमार ने कहा कि समुचित क्रियान्वयन के न होने के कारण वे महिलाओं की रक्षा नहीं कर सके हैं। उन्होंने महिलाओं से अनुरोध किया कि वे क्रांतिकारी के रूप में नई पीढ़ियां लाएं और अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सहायता करें।

श्रीमती मीरा कुमार का श्रीमती ममता शर्मा (बाएं) और श्रीमती शमीना शफीक (सबसे दाहिने) द्वारा अभिनन्दन किया जा रहा है

तकनीकी सत्रों में राज्य आयोगों और समाज कल्याण बोर्डों - उनकी शक्तियों, कृत्यों और महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि करने की चुनौतियों पर चर्चा हुई। पिछले सत्र में राज्य आयोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और उनसे निबटने के लिए रणनीतियों, संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य आयोगों के बीच सम्पर्क स्थापित करने और महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों का विश्लेषण किया गया था।

महत्वपूर्ण निर्णय

- सरकार आधार वर्ष जहां, महिला अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) के अंतर्गत इच्छा से वेश्यावृत्ति में संलग्न होती है, को संशोधित करके 16 से 18 वर्ष करना चाहती है। इस परिवर्तन से यह तर्क कि अवयस्क पीड़िता रजामंद वेश्या है, अमान्य हो जाएगा। संशोधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में व्यवस्था है कि पहली बार के उस दोषी को 5 वर्ष या इससे अधिक का कारावास मिलेगा जो अनैतिक व्यापार की पीड़िता, जो 18 वर्ष से कम आयु की है, का यौन शोषण करने के लिए वेश्यालय में जाता है, चाहे शोषण हुआ हो या नहीं हुआ हो। यह प्रावधान किसी बच्चे का यौन शोषण करने के लिए 10 वर्ष का कारावास अथवा आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने के अतिरिक्त है। वर्तमान अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इसमें 7 से 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कोई पत्नी तब तक भरण-पोषण पाने की पात्र नहीं होगी जब तक पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक के बाद अलग रह रहे हों और पत्नी ने पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में भरण-पोषण की एकमुश्त राशि स्वीकार कर ली है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर युवा और विद्यार्थी संगठनों से पुरुष राजनीतिज्ञों को राष्ट्रीय परामर्श सत्र में शामिल करना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल में नई दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र आयोजित किया था। परामर्श सत्र का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के मुद्दे पर युवा पुरुष नेताओं को शामिल करना था और नगरों, छोटे कस्बों और गांवों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर अपने विचार व्यक्त करने और कानून समर्थित विचारों, गैर-कानूनी उपायों और आगे की कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए उनको अवसर देना था।

कार्यशाला का उद्देश्य पुरुष नेताओं में अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के प्रति जागरूकता पैदा करना था।

डॉ. चारु वलीखन्ना परामर्श सत्र को संबोधित करती हुई। श्री राजकुमार वेरका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष मंच पर बैठे हुए है

कोटा में राज्य स्तर का सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जे.डी.बी. सेकेंडरी गर्ल्स कॉलेज, कोटा में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर एक राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किया था। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने आयोग के उद्देश्यों को दोहराया और लड़कियों को अपने कानूनी अधिकारों को जानने के लिए कहा। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए सख्त कानून बनाने की सिफारिश की और लड़कियों से आग्रह किया कि वे समाज में प्रचलित गलत प्रथाओं जैसे बाल विवाह, दहेज, भ्रूण हत्या आदि के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं।

अध्यक्षा के विचारों का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री हेमलता खेरिया ने कहा कि इस सेमिनार का मूल उद्देश्य लड़कियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने दुःख प्रकट किया कि अक्सर पीड़िताएं शिकायत नहीं करती हैं अथवा परिवार वाले अपने झूठे सम्मान की रक्षा करने के लिए मामले को दबा देते हैं। जब पीड़िता चुप रहती हैं तो हिंसा बढ़ती है। अब समय आ गया है कि प्रशासन, पुलिस और सिविल सोसायटी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने में मदद करें।

सेमीनार में सुश्री हेमलता खेरिया और श्रीमती ममता शर्मा

सदस्यों के दौरे

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारु वलीखन्ना नई दिल्ली में 'जीवित रहना' घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी।

डॉ. वलीखन्ना नई दिल्ली में राष्ट्रीय बालिका दिवस के एक कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई और जाकिर हुसैन सांध्य कॉलेज द्वारा आयोजित महिला जागरूकता कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई। सदस्या नई दिल्ली में एनडीटीएल की शासी निकाय की एक बैठक में, जिसकी अध्यक्षा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने की थी, उपस्थित हुई। डॉ. वलीखन्ना गुजरात सरकार द्वारा फिक्की, अखिल भारत गुजराती समाज के साथ सहयोग से वडोदरा में आयोजित 'गुजराती प्रवासी दिवस' में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए सदस्या ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में सेवा प्रदाताओं के लिए मार्ग-निर्देश बनाए हैं और आशा व्यक्त की कि गुजरात मार्ग-निर्देशों को क्रियान्वित करने में आगे आएगा। 'विदेशों में बसे भारतीयों से विवाह पर मार्ग-निर्देश' के सत्र में डॉ. वलीखन्ना ने उपस्थित जनों को विदेश में बसे भारतीय से विवाह करने के खतरों से आगाह किया। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित 'एबनडन्ड इंडियन वुमैन ट्रेप्ड इन एनआरआई मैरेज' पुस्तक की प्रतियां वितरित कीं।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर बायकुला जेल गई और महिला संवासियों से बातें की। उन्होंने जेल मैनुअल के अनुसार कुछ सुधार करने का सुझाव दिया। वह

विशेष उप-जेल अलपुझा भी गई जहाँ केवल 8 संवासी थे। संवासी जेल के भोजन, सफाई और उन्हें दी गई कानूनी सहायता से प्रसन्न थे।

सदस्या ने कोयम्बटूर में सेन्ट्रल जेल का भी दौरा किया जहां उन्होंने जेल की स्थिति को संतोषजनक पाया। तथापि महिला कैदियों ने कहा कि वे बहुत दूर होने के कारण अपने निकट संबंधियों, बच्चों, मां-बाप और जमानत में छूटने के लिए एडवोकेट से नहीं मिल पा रही हैं।

श्रीमती प्रभावलकर ने पुणे में रीज़नल मेंटल हॉस्पिटल, यरवदा का भी दौरा किया। अस्पताल की समग्र स्थिति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुझाए गए मानदंडों के अनुसार नहीं थी। सदस्या ने सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की जैसे खास स्थानों पर सीसीटीवी लगाना, प्रशासनिक कार्य का कम्प्यूटरीकरण, अस्पताल की आवधिक सफेदी और पेंटिंग करना, आपात औषधियों की उपलब्धता, मेडिकल और साइकियाट्रिक स्टाफ की संख्या बढ़ाना, बेहतर क्वालिटी के कपड़े उपलब्ध करना और रोगियों को दिए जाने वाले आहार और भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति सदस्य को नियुक्त करना।

सदस्या ने यरवदा सेन्ट्रल जेल का भी दौरा किया। जेल की संपूर्ण स्थिति संतोषजनक थी। तथापि, जेल को अधिक श्रमशक्ति और सुविधाओं जैसे कम्प्यूटरीकरण, न्यायालय के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग, नर्स और एम्बुलेंस सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य देखरेख, कैन्टीन, अतिरिक्त बैरकों का निर्माण, आय सृजित करने की गतिविधियाँ आदि की आवश्यकता है।

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिजोरम महिला आयोग के साथ मिलकर मिजोरम में आईजवाल क्लब में 'रेप एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग' पर एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। मिजोरम राज्य आयोग से प्रतिनिधियों के अलावा अन्य प्रतिभागी पुलिस कार्मिक, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन और मीडिया थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या वानसुक सैयम सम्मेलन में बोलती हुई

इस अवसर पर बोलते हुए और 16 दिसम्बर को हुए सामूहिक बलात्कार का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती वानसुक सैयम ने कहा कि यह सामूहिक बलात्कार एक ऐसी बढ़ रही प्रवृत्ति का लक्षण है जिसमें सभी आयु और सामाजिक ग्रुप की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाएं और बच्चे आजीविका कमाने के लिए अवैध व्यापार का शिकार बन रहे हैं। इस समस्या से निबटने के लिए उन्होंने कहा कि समाज के विचारों को बदलना होगा, पुलिस में सुधार लाने होंगे और पुलिस कार्मिकों में जागरूकता लानी होगी और बलात्कार और यौन दुराचार कानूनों में प्रभावी परिवर्तन लाना होगा।

- श्रीमती शमीना शफीक रोशनी नेशनल सेवा ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा रोशनी कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर ग्राऊंड, खेराबाद (सीतापुर) में अल्पसंख्यक समुदाय के युवा बालिका विद्यार्थियों के लिए आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई।

यह नवज्योति सेवा संस्थान द्वारा मेहंदीपुर्वा, खंड परसेंदी, सीतापुर, (उ.प्र.) में आयोजित कानून जागरूकता कार्यक्रम में, जिसमें समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों की महिलाएं आई थी, में भी उपस्थित हुई।

सदस्या ने स्वर्गीय श्री राजीव शर्मा (एडवोकेट और डीसीसी के पूर्व अध्यक्ष) की जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित समारोह की भी अध्यक्षता की। इस समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सम्मानित किया गया और सामाजिक कार्यकर्ताओं और बरेली के अन्य प्रमुख नागरिकों को पुरस्कार वितरित किए गए।

सदस्या शमीना शफीक समारोह में

श्रीमती शफीक नैनीताल में श्रीमती कृष्णा तीरथ, माननीय महिला और बाल विकास मंत्री की अध्यक्षा में हुई हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित हुई। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की हिंदी में त्रैमासिक रिपोर्टों पर और कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग पर चर्चा हुई।

अद्यतन सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।